राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141–2743770 ((Email waqf.rajasthan@gmail.coom)

क्रमांक प.()/कौमी तरक्कियाती/संस्थापन/2019–20/3549 दिनांक 14/8/2019

बोली आमंत्रण सूचना

केन्द्र सरकार की कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजनान्तर्गत राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये निम्न सेवा की आवश्यकता है। अतः इस हेतु अनुभवी एंव पंजीकृत फर्म से निम्नानुसार मोहरबंद बोली आंमत्रित की जाती है।

कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	SPPP पोर्टल पर अपलोड की तारीख	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख	बोली खोलने की तारीख समय
Assistant Programmer(3) संविदा पर **Accountant (1)** संविदा पर	6.00 लाख रू.	200 रू.	12000 रू.	14.08.2019 UBN NO. MAD1920SSOB00010	21.08.2019 दोपहर 02PM बजे तक	21.08.2019 दोपहर 03PM बजे तक

बोली के विस्तृत नियम एवं शर्ते इस कार्यालय में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड, विभागीय वेबसाईट एवं SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा एवं किसी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। शेष सामान्य वित्तीय एंव लेखां नियमों के अनुसार होगी। प्रतिभूति राशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। उक्त निविदा SPPP पोर्टल पर ऑनलाईन http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। SPPP पोर्टल से बिड फार्म डाउनलोड करने पर बिडदाता को रू. 200/– नकद राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर में बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व जमा करा रसीद बिड फार्म के संलग्न करना आवश्यक है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141–2743770 ((Email waqf.rajasthan@gmail.coom)

क्रमांक प.()/कौमी तरक्कियाती/संस्थापन/2019–20/ 3347 दिनांक 14/8/2019

विस्तुत बोली आमन्त्रित सूचना 2018–19

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर में वित्त वर्ष 2019–20 में अनुबन्ध सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्विदिष्ट पंजीकृत बोली दाता/संवंदको जो कि राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवाकार (GST), आयकर (पैन नम्बर), एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो से निम्न प्रकार से क्वालिफाइग बिड़ व वित्तीय/प्राइस बिड़) आमन्त्रित की जाती है।

क्र. स.	विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	बिड प्रपत्र शुल्क	बिड बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की दिनांक एवं समय
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Programmer-3 Accountant-1	06 लाख	12000/–	200/–	दि. 21.08.2019 को दोपहर 02P.M. बजे तक	दि. 21.08.2019 को दोपहर 03P.M. बजे तक

(1) विस्तृत आमन्त्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय बेबसाइट http://minority.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
(2) बोली केवल निर्धारित बिड प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी। वित्तीय बोली/प्राइस बिड़ के लिये निर्धारित प्रपत्र में ही राशि का अंकन किया जाना है।
(3) प्रतिभूति राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर के नाम बनाकर बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
(4) बिड़ दिनांक 21.08.2019 दोपहर 03 P.M. बजे राजस्थान राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, एल.के.1, ज्योनि नगर, जयपुर कार्यालय में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।
(5) किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141–2743770 ((Email waqf.rajasthan@gmail.coom)

क्रमांक प.()/कौमी तरक्कियाती/संस्थापन/2019–20/ दिनांक

वित्तीय बोली /प्राईस बिड़

कार्य पर अधारित सेवाओ के उपापन के लिये प्राईस बिड़ दरे निम्नांकित प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :–

क्र.स.	सेवा का नाम	सीडब्ल्यूसी द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह/प्रतिईकाई) रूपये में	GST	कूल राशि रूपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Assistant Programmer (3)	10000/– रू0 प्रति व्यक्ति	10000/–रू0 प्रति व्यक्ति	12.50% नियोक्ता का अंशदान	4.75% नियोक्ता का अंशदान			
	Accountant (1)	20000/–रू0 प्रति व्यक्ति	20000/–रू0 प्रति व्यक्ति					

(1) उपयुक्त तालिका में स्तम्भ 01 से 06 तक की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल 7, 8 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियाँ का उपरोक्तानुसार निर्धारित बिड प्रपत्र में अंकित की जायेगी।

(2) संवेदक/बोली दाता द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप में देय होगी।

बोली दाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141–2743770 ((Email waqf.rajasthan@gmail.coom)

क्रमांक वक्फ/कौमी तरक्कियाती/संस्थापन/2019–20/ दिनांक

प्राईस बिड के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रपत्र

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम ....

2. डाक का पता ....

....

3. फोन/माबाईल न0 ....

4. ई–मेल ....

5. बैक का नाम ....

IFSC Code .... खाता संख्या ....

6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स मे प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण–पत्रो की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी। निम्न के अभाव में निविदा निरस्त समझी जायेगी।

क्र. स.	विवरण	रजि.स.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमाक
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उल्लधंन)अधिनियम 1970				
02	कर्मचारी भविष्य अधिनियम 1952				
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
04	वस्तु एवं सेवा कर GST				
05	आयकर (पैन नम्बर)				
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

<u>घोषणा– पत्र</u>

बोली की समस्त जानकारी /शर्तो को मैं/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह प्रमाणित करते है कि मै/हम् उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है, तथा अधिनियम '' की धारा 46 एवं नियम'' के नियम 36 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए, तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भरी/हमारी बोली प्रतिभुति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समपह्रत कर किया जा सकेगा, तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नम मय सील

7. मै/हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर द्वारा जारी की गई सूचना क्रमांक ....दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजो में दी गई बोली आमन्त्रण सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141–2743770 ((Email waqf.rajasthan@gmail.coom)

प. प.()/कौमी तरक्कियाती/संस्थापन/2019–20/ दिनांक

Required Qulification Assistant Programmer

1 iploma in Computer Science/BCA or equivalent from a cognized University/Institute with 2 years Experience.
2 ood Verbal and Written communication skill in English.
3 dequate knowledge of Waqf Act -1995.
4 /ping Speed: 30-40 words per minute.

Required Qulification Accountant

1 raduate in commerce stream, having three years experience in ccounts and Tally.
2 ood Verbal and Written communication skill in English.
3 dequate knowledge of Waqf Act -1995.
4 /ping Speed: 30-40 words per minute.
5 hrough knowledge of Accounts.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नम मय सील

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141–2743770 ((Email waqf.rajasthan@gmail.coom)

क्रमांक प.()/कौमी तरक्कियाती/संस्थापन/2019–20/ दिनांक

बोली सामान्य शर्ते

General terms & Conditions of Bid and Contract :-

Important Instrucation:- The Law relating to Procurement "The Rajasthan Transparncy in Public Procurment Act, 2012" [hereinfafter called the Act] and the Rajaasthan Transparncy in Public Procurment Rules 2013"[hereinfafter called the Rules] under the said Act have come into force while are available on the wabsite to State Public Procurement Portal htttp:// Sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advised to acquqint themsalve with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding proess. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and This bidding document the Provision of the Act and The Rules shall prevail.

01. राजस्थान लोक उपापन पादर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र गाईडलाइन आदेश–निर्देशो आदि प्रभावी रहेगे।
02. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
03. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन अधिनियम एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने वाले हेतु अर्हत होगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जावेगी।
04. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिक को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जावेंगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिको के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिको के बैंक खातो में जमाकराई गई राशि का विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिलो का भुगतान किया जावेगा।
05. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको की मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
06. श्रमिको को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान संनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनमत मजदुरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
07. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरो के अनुसार अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमेनियोजित श्रमिको की मजदूरी राशिं से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का

अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा आगामी बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये गये जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी बिल/बिलो का भुगतान किया जावेगा।

08. राज्य में लागु श्रम नियमो के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई की राशि जमा करवाने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

09. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि रूप में देयी होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह के जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिलो के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा करवाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) भुगतान नही किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो उपनियमो व अधिसूचनाओ तथा केन्द्र/राज्यसरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमो उपनियमो व अधिसूचनाओ दिशा–निर्देशो आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वो के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. नियोजक श्रमिक को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औधोगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानो के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिक को हटाने कार्यमुक्त करने, नोटिस, वेतन छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोली दाता का होगा।

12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध में /सन्दर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई.करवाने/सामूहिक दुघर्टना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा। इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

13. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगताननही किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है, तो इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जावेगा, और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जावेगी।

14. सहायक प्रोग्रामर एवं लेखाकार की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं सेवा नहीं लेने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे का प्रतिकर का अधिकार नही होगा। सहायक प्रोग्रामर एवं लेखाकार की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्ते निबन्धन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

15. बोली में सफल संवेदक/बोलीदाता सें संविदाओ के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/आपेक्षित संख्या में सहायक प्रोग्रामर व लेखाकार उपलब्ध करवाना न्यूनतम संवेदक/बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

16. बोली को विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राइस बिड़ खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।
17. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपना या भाडे (Sub-Let) पर नही देगा।
18. बोली में सफल/क्वालिफाइड़ बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाइड बिड़ का मूल्यांकन किया जावेगा।
19. किसी सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज शून्य होने पर उसे प्रतिभागी नहीं माना जायेगा। सर्विस चार्ज 1/– रूपये से कम नहीं होगा।
20. बोली का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
21. बोली प्रतिभूति राशि " राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर के नाम पर डिमान्ड़ ड्राफ्ट /बैकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीध्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलो में सपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।
   (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
   (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।
   (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करवाता है।
   (घ) यदि बोली लगाने वाले अधिनियम और इन नियमो के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वाले के लिए विहित सत्यनिष्ठा की सहिता से किसी उपबध को भंग करता है।
22. करार एवं सम्पादन प्रतिभूति :– (Agreement and Performance Security)
   (अ) बोली आमन्त्रण में अंकित सेवा की आपुर्ति हेतु सफल बोलीदाता की बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिन में सेवा प्रदाय आदेश की रकम की पाँच प्रतिशत राशि सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक "राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स,जयपुर के नाम से जमा करानी होगी। 500 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा अधिनियम में निर्धारित एस.आर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
   (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादनप्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति राशि दे देता है।
   (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।
23. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work Performance Security Deposit) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में बोली सपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।
   (क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघन्न किया गया हो।
   (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढग से करने में असफल रहा हो।
   (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा

की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

24. भुगतान :-

1. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। अनुबन्धित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान के होने वाले विलम्ब के लिए अनुबन्धित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगे।

25. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damagest) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुर्पुगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखिम प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यो के लिए की जायेगी। जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में सप्लाई करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुपुर्दशी अवधि की एक चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिए – 2.5 %

(ख) विहित सुपुर्दशी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की अवधि से अनाधिक के लिए – 05 %

(ग) विहित सुपुर्दशी अवधि की आधी से अधिक किन्तु वहित अवधि की अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5 %

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए – 10 %

(ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से काम के भाग छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओ के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्वि करना चाहते है, तो वह लिखित में उसे प्राधिकारी को आवेदन करेगा,जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा से घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

26. इस योजनान्तर्गत मार्च 2020 तक की स्वीकृति केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त है। योजना की अवधि बढाये जाने की स्थिति में संविदा एक वर्ष तक लागू होगी अन्यथा 31.03.2020 को स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

27. संविदाकर्मी के माह में चार दिवस के अतिरिक्त पूर्व सूचना के गैर हाजिर रहने पर उसको देय राशि को अनुपातिक रूप से कम कर दिया जावेगा एवम् इसके अतिरिक्त 300/- रू. प्रतिदिन की कटौती भी की जावेगी। संविदाकर्मी की गैर हाजिरी की स्थिति में संवेदक को प्रशिक्षित कार्मिक लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।

28. संविदा कर्मी की योग्यता निम्नानुसार होगी:-

S.No.	Post Name	Eligibility Qualification
01	Assistant Programmer	1. Diploma in computer Science/BCA or equivalent from a recognized University / Institute with 2 years experience. 2. Good Verbal And Written communication skill in English 3. Adequate Knowledge of Waqf Act-1995. 4. Typing Speed: 30-40 words per minute.

02	Accountant	1. Graduate in commerce stream, having three years experience in Accounts and tally. 2. Good Verbal and Written communication skill in English. 3. Adequate Knowledge of Waqf Act-1995. 4. Typing Speed: 30-40 words per minute. 5. Thorough Knowledge of Accounts.

29. संविदा कर्मी को डाटा की गोपनियता एवम् सुरक्षा बनाये रखनी होगी। डाटा का प्रकटीकरण न हीं करेगे। डेटा से छेडछाड/रद्दोबदल/धोखाधडी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

30. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/सन्देह हो तो निम्नलिखित ये सम्पर्क किया जा सकता है:–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स,
एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर, दूरभाष न. 0141–2743770
ई–मेल :– waqf.rajasthan@gmail.com

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नम मय सील

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141–2743770 ((Email waqf.rajasthan@gmail.coom)

क्रमांक प.()/कौमी तरक्कियाती/संस्थापन/2019–20/ दिनांक:

Annexure A:

Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest
Any Person Participating in a Procurement Process shall

i. . Not Offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in Procurement process or to otherwise influence the Procurement Process :

ii. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to misleads so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

iii. Not indulge in any collusion Bid rigging or Anti-competitive behavior to impair the transparency fairness and progress of the Procurement Process.

iv. Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with intent to gain unfair advantage in the Procurement Process.

v. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same directly or indirectly to any.

vi. Not obstruct any investigation or audit of a Procurement Process.

vii. Disclose any conflict of interest if any and.

viii. Disclose any previous transgression with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder Participating in a bidding process must not have a conflict of interest.

A conflict of interest is considered to be situation in which a party has interests that could improperly influence the party's Performance of official duties or responsibilities, Contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations,

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:-

a. Have controlling partners/shareholders in common ; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative of purposes of the bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring entity regarding the bidding process; or
e. the bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the not other wise participating as a bidder, a more than one bid; or
f. the bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the bid; or
g. bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant the contract.

Annexure B: Declaration by the bidder regarding qualifications
Declaration by the bidder

In relation to my/our bid submitted to......................for procurement of ....in response to · their notice inviting bids no..............................dated.............I/We hereby declare under section 7of Rajasthan transparency in public procurement act,2012 that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding document issued by the procuring entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/we have are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have conflict of interest as specified in the act ,rules and the bidding document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C:Grievance Redressed during procurement process

The designation and address of the first Appellate Authority is Director Minority Affairs Department Rajasthan Jaipur. The designation and address of the second Appellate Authority Principal Secretary Minority Affairs Department Rajasthan Jaipur.

Filling an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that an decision, provision of the act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which oh feels aggrieved:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under pare (1) sail deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under Para(1)fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para(2),or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first, as the appellate case authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para or of the date or receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases:- No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

a.Determination of need of procurement.
b.Provisions limiting participation of bidders in the bid process.
c.The decision of whether or not to enter into negotiations.
d.Cancellation of a procurement process.
e.Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) From of Appeal

(a). An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal,

(b). Every appeal shall be accompanied by an order appealed against. If any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of Payment of fee.

(c). Every appeal may be preserved to Appellate Authority or Second appellate Authority as the case may be, person or thought registered post or authorized, representative.

(5) Fee for filling appeal:-

(a). Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand which shall be non- refundable.

(b) The Fees shall be paid in the form of bank demand draft or Bank's cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

(a). The First Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be upon filling of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal affidavit and documents if any to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second appellate Authority· as the case may be Shall :-

i. Hear all the parties to appeal present before him and
ii. Peruse of inspect document, relevant record or copies therefore relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal, or inspection of documents and relevant records or copies therefore relating to the matter, the appellate Authority Concerned shall pass as order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The Order passed under sub-clause (c) above shall also place on the State Public Procurement portal.

Form No. 1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in public Procurement Act 2012

Appeal No. .... Of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   - i. Name of Appellate :
   - ii. Official address if any :
   - iii. Residential address :

2. Name and address of the respondent
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)

3. Number and date of the order appealed against And name and designation of the officer/Authority Who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant Proposes to be represented by a representative the name and postal address Of the representative:

5. Number of Affidavits and document enclosed with appeal

6. Grounds of Appeal ....
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)

7. Prayer ....
   ....
   ....
   ....
   ....

Place:- ....

Date : ....

Appoint's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive the procuring entity will correct arithmetical errors during evolution of Financial Bid on the following based:-

I. If there is any discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the Unit Price and Quantity, the unit Price shall prevail and the total price shall be corrected. Unless in the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected

II. If there is an error in a total corresponding to the addition or sub ration of subtotals the Subtotals prevail and total shall be corrected ; abd

III. If there is any discrepancy between words and figures the amount in words shall prevail unless the amount expressed in words is related to arithmetic errors in which case the amount in figures shall peril subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors its bid shell be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entry's Right to Vary Quantities

(i). At the time of award of contract the Quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent of the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) if the Procuring entity does not procure any subject matter of Procurement or procures less then the Quantity specified in the bidding Documents due to change in circumstances the bidder Shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of contract.

(iii) In case of Procurement if Goods or Service additional Quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and conditions of the original order. However the additional Quantity shall not be more then 50% of the value of goods of

the original contract and shell be within one month for the date of expiry of last supply. If the supplier fails to be do. The Procuring entry shall to arrange for the balance soppy by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from Supplier.

3. Dividing quintets among more then one Bidder at the time of award (In axes of Procurement of Goods)

A general rule all the quantities of the subject matter of Procurement shall be procured from the Bidder. Whose Bid is accepted? However when it is considered that the quantity of the subject matter of Procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or Procurement to be procured is of critical and vital nature in such case the quantity may be divided between the Bidder whose Bid is accepted and second lowest Bidder or more manner at the rates of the Bidder Whose Bid in accepted.